जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

भीखाराम बनाम नत्थी

किस्म मुकदमा दावा नं. 01/15 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21/6/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अधिनियम के द्वारा कोर्ट सामोर में पेश हुई। पक्षकारान हाजिर, समझाइश की गयी, दोनों पक्षों की सुनवाई कर राजीनामा कराया गया जो पृथक से संलग्न है। राजीनामा के अनुसार इस बात पर सहमति बनी कि विवादित आराजी का आधा किल्ला पश्चिम दिशा से पूर्वीय का तरफ तथा वादी उक्त आधे बिल्ले पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा भी आधी जमीन पर कब्जा देना बताया तथा आधी पर वादी का कब्जा देना स्वीकार। दोनों पक्षों को समझाइश करने पर, प्रतिवादी वादी को आधी जमीन देने को सहमत हो गया तथा वादी के वादिनी से कोर्ट का खर्चा हर्जा करने पर ही सहमति व्यक्त की है ऐसा प्रकट किया इस प्रकार इन मजमून आपस में हुई समझाइश एवं सहमति के आधार पर दावा मिसल डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक राजीनामा इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख.न. 163 रकबा 17 बिस्वा स्थित ग्राम सामोर में वादीगण को 1/2 भाग का काश्तकार काबिज घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण इस मुकदमे का खर्चा प्रदान करेंगे। पत्रावली डिक्री की गयी है। पत्रावली फैसल शुमार हो। राजस्व रिकार्ड वादीगण को 1/2 भाग का काश्तकार दर्ज किया जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)